



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4509]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 14, 2018/कार्तिक 23, 1940

No. 4509]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 14, 2018/KARTIKA 23, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2018

का.आ. 5726 (अ).— जबकि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायु विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु का गठन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की तारीख 29 नवम्बर, 2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 3535(अ) द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलूर अधिनियम, 2012 (2012 का 38) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया था;

और जबकि उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (1) के अधीन नामांकित तीन चयनित संसद के सदस्य, अर्थात् श्री ध्रुवनारायण (लोक सभा), श्री अनंत कुमार (लोक सभा) और श्री एस.एम. कृष्णा (राज्य सभा) की उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अनुसार, सदस्यता समाप्त होने के कारण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की तारीख 29 नवम्बर, 2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 3535(अ) उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की तारीख 24 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 2764(अ) के द्वारा तीन नए चयनित संसद के सदस्य अर्थात् श्री मल्लिकार्जुन खड्गे (लोक सभा), श्री पी. सी. मोहन (लोक सभा), प्रो. एम.वी. राजीव गौड़ा (राज्य सभा) प्रतिस्थापित किया गया था।

और जबकि उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) में यह उपबंध है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान, बेंगलूर के सदस्य की पदावधि उसके नामांकन या निर्वाचन की तारीख से पांच वर्ष होगी;

और जबकि उक्त अधिनियम संख्या का.आ. 3535(अ), तारीख 29 नवम्बर, 2013 के तहत उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (क) से (ट) के अधीन नामनिर्दिष्ट किए गए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान, बेंगलूर के सदस्यों की पदावधि 29 नवंबर, 2018 को समाप्त होती है।

अतः अब, केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलूर अधिनियम, 2012 (2012 का 38) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण; भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 24 अक्टूबर, में प्रकाशित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का.आ. 2764(अ), तारीख 24 अक्टूबर, 2014 में भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधित करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिनियम में, क्रम संख्या 1 से 11 तक और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“1. धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन सदस्य:

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार, पदेन।

2. धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन सदस्य:

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (चिकित्सा शिक्षा), कर्नाटक सरकार, पदेन।

3. धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अधीन सदस्य:

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव, पदेन।

4. धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अधीन सदस्य:

निदेशक, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलूर, पदेन।

5. धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (ङ) के अधीन सदस्य:

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, में भारत सरकार के सचिव या उनके नामनिर्देशिती (संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो), पदेन।

6. धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (च) के अधीन सदस्य:

उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव या उनके नामनिर्देशिती (संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो), पदेन।

7. धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (छ) के अधीन सदस्य:

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, भारत सरकार, पदेन।

8. धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (ज) के अधीन सदस्य:

राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक के कुलपति, पदेन।

9. धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (झ) के अधीन सदस्य :

कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव या उनके नामनिर्देशिती जो उस सरकार में सचिव की पंक्ति से नीचे के नहीं होंगे, पदेन।

10. धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (ञ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य:

- (i) प्रो. गीता बाली, आशुतोष मुखर्जी फेलो और मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी;
- (ii) प्रो. विजयलक्ष्मी रविंद्रनाथ, आचार्य, सेंटर फॉर न्यूरोसाइंस;
- (iii) डॉ. के.बी. अखिलेश, डीन इंजीनियरी प्रभाग, अध्यक्ष, प्रबंधन अध्ययन;
- (iv) प्रो. के. राजन्ना, पूर्व आचार्य इंस्ट्रुमेंटेशन एंड एप्लाइड फिजिक्स विभाग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलूर;
- (v) डॉ. डी. नागराजा, पूर्व निदेशक, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलूर;
- (vi) न्यायमूर्ति श्री एन. कुमार (सेवानिवृत्त), कर्नाटक उच्च न्यायालय;
- (vii) डॉ. सी. रामसुब्रमण्यन, संस्थापक, एम.एस. चेलामुथू ट्रस्ट एंड रिसर्च फाउंडेशन;

11. धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (ट) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य:

- (i) डॉ. जी. गुरुराज, वरिष्ठ आचार्य (महामारी विज्ञान), राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलूर;
- (ii) डॉ. भवानी शंकर दास, परामर्शदाता, न्यूरो- सर्जन, भुवनेश्वर, ओडिशा;

(iii) डॉ. राजेश कोटिचा, भारत सरकार के विशेष सचिव, आयुष मंत्रालय;

(iv) प्रो. एस.के. चतुर्वेदी, मनोचिकित्सा के वरिष्ठ प्रोफेसर और डीन, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बैंगलोर"।

2. यह अधिसूचना 29 नवम्बर, 2018 को प्रभावी होगी।

[सं. वी.18013 / 01/2018-पीएच-1]

लव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में तारीख 24 अक्टूबर, 2014 को अधिसूचना संख्या का.आ. 2764(अ), तारीख 24 अक्टूबर, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2018

S.O. 5726(E).—Whereas the National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore was constituted in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 5 of the National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore Act, 2012 (38 of 2012) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 3535(E), dated the 29th November, 2013;

And Whereas due to cessation of membership in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 6 of the said Act in respect of three elected Members of Parliament, namely, Shri Dhruvanarayana (Lok Sabha), Shri Ananth Kumar (Lok Sabha), and Shri S.M. Krishna (Rajya Sabha), nominated under clause (1) of sub-section (1) of section 5 of the said Act, the said members were substituted by three new elected Members of Parliament, namely, Shri Mallikarjun Kharge (Lok Sabha), Shri P.C. Mohan (Lok Sabha), and Prof M. V. Rajeev Gowda (Rajya Sabha) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 2764(E), dated the 24th October, 2014, in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 3535(E), dated the 29th November, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession;

And whereas sub-Section(1) of section 6 of the said Act provides that the term of office of a member of National Institute of Mental Health and Neuro Sciences, Bangalore shall be five year from the date of his nomination or election;

And whereas the term of office of the members of National Institute of mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore nominated under clauses (a) to (k) of sub-Section (1) of Section 5 of the said Act *vide* the said notification number S.O. 3535(E), dated the 29th November, 2013 expires on the 28th November, 2018.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore Act, 2012 (38 of 2012), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Health of Health and Family Welfare number S.O. 2764(E), dated the 24th October 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II section 3, sub-section (ii), dated the 24th October, 2014 namely:-

In the said notification, for serial numbers 1 to 11 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

“1. Member under clause (a) of sub-section (1) of section 5:

Minister of Health and Family Welfare, Government of India, *ex officio*.

2. Member under clause (b) of sub-section (1) of section 5:

Minister of Health and Family Welfare (Medical Education), Government of Karnataka, *ex officio*.

3. Member under clause (c) of sub-section (1) of section 5:

Secretary to the Government of India in the Department of Health and Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare, *ex officio*.

4. Member under clause (d) of sub-section (1) of section 5:

Director, National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore, *ex officio*.

5. Member under clause (e) of sub-section (1) of section 5:

Secretary to the Government of India or his nominee (not below the rank of Joint Secretary) in the Department of Expenditure, Ministry of Finance, *ex officio*.

6. Member under clause (f) of sub-section (1) of section 5:

Secretary to the Government of India or his nominee (not below the rank of Joint Secretary) in the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, *ex officio*.

7. Member under clause (g) of sub-section (1) of section 5:

Director General of Health Services, Government of India, *ex-officio*.

8. Member under clause (h) of sub-section (1) of section 5:

Vice Chancellor of Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka, *ex-officio*.

9. Member under clause (i) of sub-section (1) of section 5:

Chief Secretary to the Government of Karnataka or his nominee who shall not be below the rank of Secretary to that Government, *ex-officio*.

10. Members nominated under clause (j) of sub-section (1) of section 5:

- (i) Prof. Geetha Bali, Ashutosh Mookerjee Fellow and Chief Scientific Officer;
- (ii) Prof. Vijayalakshmi Ravindranath, Professor, Centre for Neuroscience;
- (iii) Dr. K.B. Akhilesh, Dean Engineering Division, Chairman, Management Studies;
- (iv) Prof. K. Rajanna, Former Prof. Instrumentation & Applied Physics Department, Indian Institute of Science, Bangalore;
- (v) Dr. D. Nagaraja, Former Director, National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore;
- (vi) Justice Shri N. Kumar (Retired), Hon'ble High Court of Karnataka;
- (vii) Dr. C. Ramasubramanian, Founder, M.S. Chellamuthu Trust & Research Foundation;

11. Members nominated under clause (k) of sub-section (1) of section 5:

- (i) Dr. G. Gururaj, Senior Professor (Epidemiology), National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore;
- (ii) Dr. Bhabani Shankar Das, Consultant, Neuro-surgeon, Bhubaneswar, Odisha;
- (iii) Dr. Rajesh Kotech, Special Secretary to the Government of India, Ministry of AYUSH;
- (iv) Prof. S.K. Chaturvedi, Senior Professor of Psychiatry & Dean, National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore.”.

2. This notification shall come into effect on the 29th November, 2018.

[F. No. V.18013/01/2018 – PH-I]

LAV AGARWAL, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 24th October, 2014 *vide* notification number S.O. 2764(E), dated the 24th October, 2014.